न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, बाढ.

नियमित जमानत आवेदन सं0 124 / 2026

पंडारक थाना कांड सं0 19 / 2026

(अंतर्गत धारा 61(2)(a) भारतीय न्याय संहिता एवं 25(1-B)a, 26, 27, 35 शस्त्र अधिनियम)

प्रिंस कुमार, उम्र– 22 वर्ष, पिता– उपेन्द्र यादव, ग्राम– ग्वोसा शेखपुरा बिहरापुर, थाना– पंडारक, जिला– पटना।

.....आवेदक

बनाम

बिहार सरकार

..... अभियोजन

उपस्थिति
आवेदक की ओर से : विद्वान अधिवक्ता श्री रामाकांत प्रसाद सिंह,
अभियोजन की ओर से : विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अर्जुन शर्मा,

---

04.05.2026 1. इस कांड में दिनांक **23.01.2026** से काराधीन आवेदक / अभियुक्त की ओर से दिनांक 26.02.2026 को नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया है। आवेदक निर्दोष है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। अभियोजन के द्वारा लगाया गया आरोप बिल्कुल झूठा है। प्राथमिकी में जिस प्रकार बताया गया है उस प्रकार की घटना नहीं हुई है। आवेदक पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। आवेदक के पास से कोई खोखा की बरामदगी नहीं हुई है। कथित घटना एवं घटनास्थल से आवेदकगण का कोई संबंध नहीं है। आवेदक के विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आरोप नहीं है। आवेदक के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है, परंतु कोई सेंसन आदेश अभिलेख पर दाखिल नहीं किया गया है। कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदक को ग्रामीण दुश्मनी के कारण झुठे केस में फंसा दिया गया है। आवे. दकगण दिनांक 23.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक न्यायालय की किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार है, इसलिए इन्हें किसी भी शर्त का जमानत दिया जाय, जमानतदार देने को तैयार हैं।

3. अभियोजन ने नियमित जमानत आवेदन का विरोध किया है।

4. उपर्युक्त नियमित जमानत पर उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह स्पष्ट है कि सूचना के द्वारा यह अभियोग लगाया गया है कि सूचक को सूचना मिली कि सरहन डैम्प पर 6–7 की संख्या में अपराधकर्मी हथियार के पास सरहन डैम्प से निकलने वाले फेन को छानने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो दहशत एवं बर्चस्व का माहौल बनाने के लिए गोली फायरिंग कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस उक्त स्थल पर पहुंची तो पुलिस को देख कुछ व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगे जिसमें से तीन व्यक्यिों को पकड़ लिया गया। पकड़ाये व्यक्ति अपना अपना नाम क्रमशः सन्नी कुमार, प्रिंस कुमार एवं सिन्टू कुमार बताया। पूछताछ के क्रम में इनलोगों के द्वारा बताया गया कि नागमणि यादव, पप्पु यादव, राजेश यादव उर्फ जर्सी, मिथुन यादव एवं संजय यादव सभी मिलकर हथियार गोली दिया था और बोला था कि जाकर तुमलोग फेन छानों और कोई बोलेगा तो गोली चला देना। हमलोग भी तुम लोगों के सहयोग में खड़े हैं जो सभी पुलिस को आता देखकर भाग गया। उन सभी के पास भी हथियार था। हमलोगों के पास भी हथियार था वो हमलोग पुलिस को आता देखकर छाई में फेंक कर छुपा दिए हैं जो बरामद करवा सकते हैं। तलाशी के क्रम में पकड़ाये व्यक्तियों में से प्रिंस कुमार के दाहिने पैकेट से एक जिंदा गोली एवं एक मोबाईल, सन्नी कुमार एवं सिंटु कुमार के पास से एक–एक मोबाईल फोन बरामद हुआ तथा इन तीनों के निशानदेही पर उक्त स्थल की खोजबीन करने पर उक्त स्थल से 2 देशी कट्टा, 7 जिंदा गोली एवं 7 खोखा बरामद हुआ।

5. उभय पक्षों को सुनने के पश्चात एवं अभिलेख का अवलोकन किया। कांड दैनिकी अभिलेख के साथ संलग्न है जिससे स्पष्ट है कि कांड दैनिकी के कंडिका 2 में जप्ती सूची है, कंडिका 3 में वादी का बयान है, कंडिका 4 एवं 5 के साक्षियों का बयान है जिन्होंने घटना के बारे में बताया है, कंडिका 8 में घटनास्थल है, कंडिका 39 में **आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया है।** इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि प्रस्तुत मामला में बिना किसी अभियोजन स्वीकृत्यादेश के आवेदक के विरूद्ध

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, बाढ.

नियमित जमानत आवेदन सं0 124/2026

पंडारक थाना कांड सं0 19/2026

लगातार

04.05.2026 आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है, इसलिए साक्ष्य के साथ छेड़ाछाड़ की कोई संभावना नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि बरामद गोली के कारगर होने के संदर्भ में आयुद्य निरीक्षक का कोई प्रतिवेदन अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। आवेदक विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा तथा प्रत्येक एवं सभी तिथियों पर न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेगा तथा **आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।** आवेदक दिनांक 23.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

7. इस प्रकार उपर्युक्त वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों, कांड दैनिकी के अनुसार आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास न होने एवं कारा में बिताई गई अवधि पर विचार करने के उपरांत आवेदक को सशर्त जमानत पर उपनिहित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक की ओर से मो0 10,000 रुपये के दो प्रतिभू द्वारा बंधपत्र दाखिल करने निम्न शर्तों के आलोक में जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है, 1. आवेदक को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे तथा यदि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है तो प्रत्येक एवं सभी तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेंगे तथा **आवेदक आरोप गठन तक न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे।** उपर्युक्त शर्त के अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय आवेदक के बंधपत्र को निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होंगे। इस आदेश में की गई टिप्पणी जमानत आवेदन निष्पादन होने तक सीमित है, इस कांड में अन्वेषण, जांच या विचारण के स्तर पर गुण–दोष को प्रभावित नहीं करेगा।

लेखापित एवं शुद्धित
Sd/-
(अमित कुमार दीक्षित)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, बाढ़